

नांक

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता श्रीमती अंजू बोदरा, पति- स्व० सुरेश बोदरा, निवासी ग्राम- तमाड़बांध, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बांध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 20, प्लॉट नं०- 991, रकवा- 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता श्री राना प्रताप सिंह बारी, पिता- श्री लुकना बारी, निवासी ग्राम- छोटा खुन्टा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आन सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि खतियान में आवेदिका के पति एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। आपसी बांटवारा में आवेदिका को मिला है। आवेदक का आवेदित मूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 434, दिनांक- 21.04.2018 के द्वारा कुर्सीनाना तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं अन्य खर्च हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण मू-खण्ड को क्रेता श्री राना प्रताप सिंह बारी, पिता- श्री लुकना बारी, निवासी ग्राम- छोटा खुन्टा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 2,60,000.00/- (दो लाख साठ हजार रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 1.25 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक मू-सम्पत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्रीमती अंजू बोदरा, पति- स्व० सुरेश बोदरा, निवासी ग्राम- तमाड़बांध, थाना- मुफ्फसिल, क्रेता श्री राना प्रताप सिंह बारी, पिता- श्री लुकना बारी, निवासी ग्राम- छोटा खुन्टा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 2,60,000.00/- (दो लाख साठ हजार रुपये) में मौजा- तमाड़बांध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 20, प्लॉट नं०- 991, रकवा- 0.07½ एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।